



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 77/2025

दिनांक- 01.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-01.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महाराजगंज: चोरी में वांछित अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 22.01.25 को वादी राजेन्द्र प्रजापति पुत्र स्व0 लालसा प्रजापति निवासी बुढावेहिसामुद्दीनपुर (समधीपुर) थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा आवेदक व उसके पड़ोसी की भैंस चोरी कर लिया गया ने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अकीक अहमद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 01.03.25 को उ0नि0 अकीक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित चोरी हुई भैंसो को चोरी करने वाला अभियुक्त अजय कुमार नोना पुत्र सोमारू नोना निवासी कुलहना मऊ थाना बक्शा जिला जौनपुर उम्र 20 वर्ष को चोरी भैंस को बेंचकर प्राप्त हुआ पैसे में से 1300 रुपये व 01 अदद अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ परशुरामपुर पुलिया के पास समय करीब 01.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अजय कुमार नोना पुत्र सोमारू नोना निवासी कुलहना मऊ थाना बक्शा जिला जौनपुर उम्र 20 वर्ष बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 1300 रुपये नगद।



02.थाना- महाराजगंज: दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.24 को वादिनी मुकदमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सचिन यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 मालपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर द्वारा वादिनी का अश्लील फोटो वायरल किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/24 धारा 66ई आईटी एक्ट बनाम 1. सचिन यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 मालपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र के द्वारा की जा रही है विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 01.03.2025 प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.अभि0 सचिन यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 मालपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को शिवपुर से समय 06.45 बजे सुबह हिरासत पुलिस लेकर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।



03.थाना – अहरौला: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक- 01.03.2025 को उ0नि0 रमेश कुमार यादव उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 30/25 धारा-137(2)/87/64बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल कुमार जाटव पुत्र रोहतास जाटव निवासी ग्राम केशवपुरी कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर को पकडी चौराहा से समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 30/25 धारा-137(2)/87/64बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1-निखिल कुमार जाटव पुत्र रोहतास जाटव निवासी ग्राम केशवपुरी कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 23 वर्ष



04.थाना जहानागंज: चोरी की तीन घटनाओं का अनावरण; चोरी गये आभूषण व सामान (कीमत लगभग 01 लाख रूपयें) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

1-दिनांक 28.12.2024 को वादी मुकदमा लालता सिंह s/o स्व श्री धर्मदेव सिंह निवासी सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर खुद की जमीन पर माँ दुर्गा जी के स्थित मन्दिर में ताला तोड़ कर अज्ञात चोरो द्वारा सोने का मुकुट व हार और नथिया तथा एक कान की बाली चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 630/24 धारा 331(4)/305 BNS दिनांक घटना 27/28.12.24 बनाम नाम पता अज्ञात चोर व तफ्तीशी उ0नि0 ओमप्रकाश यादव के पंजीकृत किया गया था।

2- दिनांक 14.01.2025 को वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र शिवब्रत ग्राम खानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना के आधार पर खुद की घर में दिनांक 14/01/2025 को रात्रि लगभग 01 से 05 बजे के मध्य अज्ञात चोरो द्वारा नथिय 3 नग,मांगटिका 3 नग,कान का झबसा 3 नग, मंगलसूत्र 3 नग,हाथफूल 2 नग,करधनी 3 नग, पैजनी 2 नग,पायल 2 नग,अंगुठी 3 नग, सोने की माला 1 नग,कनफूल 1 नग व 80,000 रूपये कैश चोरी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 11/2025 धारा 331(4)/305 BNS दिनांक घटना 14.01.25 बनाम नाम पता अज्ञात चोर व तफ्तीशी उ0नि0 शिवम त्यागी के पंजीकृत किया गया था।

3- दिनांक 28.02.2025 को वादी मुकदमा श्री मयंक यादव s/o राजेन्द्र प्रसाद यादव वर्तमान नियुक्त पू0मा0वि0 निजामपुर शि0 क्षे0 जहानागंज हाल पता ग्राम बरहतिर जगदीशपुर पो0 जहानागंज आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर खुद के बावत पू0मा0वि0 निजामपुर शि0 क्षे0 जहानागंज के बाउन्डी के अन्दर घुसकर विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 77/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस दिनांक घटना 26.02.2025 बनाम अज्ञात चोर व तफ्तीशी उ0नि0 श्री विनय कुमार के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 01.03.2025 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त आलोक पुत्र गुड्डू निवासी सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी गये आभूषण व सामान के साथ लंगड़ा बाबा नहर पुलिया के पास से समय 03.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

बरामद अवैध चाकू के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 79/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट उ0नि0 विनय कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बनाम आलोक पुत्र गुड्डू निवासी सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष वतफ्तीशी उ0नि0 लाल बहादुर मौर्य के पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 077/25 धारा 331(3), 305, 317(2) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 011/25 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 630/24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस व कायमी मु0अ0सं0 079/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. आलोक पुत्र गुड्डू निवासी सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष व
2. 03 नफर बाल अपचारीगण

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 अदद सीसीटीवी कैमरा, 01 अदद सीसीटीवी कैमरा होल्डर
- 2- 02 अदद पायल सफेद धातु, 01 अदद अंगुठी पीली धातु, 01 अदद मांगटीका पीली धातु, 01 जोड़ा कान का झपसा पीली धातु
- 3- 01 अदद हार पीली धातु, 01 अदद कान की बाली पीली धातु
- 4- 01 अदद चाकू।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि0 श्री विनय कुमार, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 श्री शिवम त्यागी, का0 मनोज कुमार यादव, का0 राजकुमार गुप्ता व का0 शिवम चौधरी थाना पवई जनपद आजमगढ़



05.थाना पवई: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 19.05.24 को रात्रि 11 बजे प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बच्चुलाल निवासी ग्रा0 रामपुरखुर्द थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बुरी नियत से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0 175/24 धारा 363/366 बनाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बच्चुलाल निवासी ग्रा0 रामपुरखुर्द थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 01.03.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बच्चुलाल निवासी ग्रा0 रामपुरखुर्द थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना पर समय करीब 5.35 बजे मिल्कीपुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।



06.थाना कप्तानगंज: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 28.02.2025 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय थाना कप्तानगंज के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-51/2025 धारा- 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम अभियुक्तगण 1. सौरभ गुप्ता उर्फ पांचू पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर स्थायी पता घटवाबारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ हाल पता सा0 कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ व 3. आदित्य यादव पुत्र रमेश यादव उर्फ राकेश निवासी- कादीपुर हरिकेश हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर सौरभ गुप्ता उर्फ पांचू पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता सा0 कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमग है। इस गैंग के द्वारा हत्या, लूट आदि जैसे जघन्य अपराध अपराध कारित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 28.02.2025 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त- सौरभ गुप्ता उर्फ पांचू पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब- 26 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के घर से समय करीब-20.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ गुप्ता उर्फ पांचू पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब- 26 वर्ष
आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 94/20 धारा 34,120, 392/41 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 144/20 धारा 307 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 146/20 धारा 3/25 ARMS ACT थाना मुबारक पुर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 230/20 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 269/24 धारा 3(5),103/238 BNS थाना कप्तानगंज आजमगढ़ जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 51/25 धारा- 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986



थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर फ्राड के 200000/- (दो लाख रूपये) आवेदक के खाते में कराया गया वापस ।

अवगत कराना है कि साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व नोडल साइबर थाना सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ अनन्त चन्द्रशेखर के निकट पर्यवेक्षण में साइबर थाना पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2024 धारा 419,420 IPC व 66 (D) IT एक्ट की विवेचना/जाँच के अनुक्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद आजमगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये मुकदमा वादी से फ्राड हुए 5,95,000/रु0 में से 200000/- (दो लाख रुपये) मुकदमा वादी के खाते में वापस कराया गया । शिकायतकर्ता/मुकदमा वादी द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना आजमगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया ।

घटना का विवरण—

मुकदमा वादी जयप्रकाश सिंह S/O शिवशंकर सिंह ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप काल करके बेटे को रेप केस में फंसने से बचाने के लिए कुल 595000/ खाते में जमा करा ले जाने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

रूपये वापसी कराने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार यादव थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ (विवेचक)
- 2-आरक्षी सभाजीत मौर्य थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ (टेक्नीकल सहयोगी)

